उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्याः–144 / 75 / डी0आर0(कृ0उ0पशु0) / सेवा–1 / 2022–23 दिनांकः04 अक्टूबर, 2024

अनर्हता सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि / उद्यान / पशुपालन विभाग हेतु समेकित (समूह–'ग') परीक्षा–2023 के विज्ञापन दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के क्रम में लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन दिनांक 07 जनवरी, 2024 को किया गया। उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर निर्मित प्रवीणता सूची दिनांक 14 मार्च, 2024 के अनुक्रम में दिनांक 04 अप्रैल, 2024 से दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के मध्य अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया।

अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम–3 के अनुसार अनर्ह किया गया हैः–

विषय–कृषि

क्रमांक	अनुक्रमांक	अनर्हता का कारण
1	2	3
1	105500	अभ्यर्थी द्वारा ओ0बो0सी0 श्रेणी हेतु भारत सरकार की सेवाओं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विज्ञापन के अनुसार मान्य नहीं हैं। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
2	108302	अभ्यर्थी द्वारा धारित स्नातक की उपाधि के संबंध में विषय–विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि **"विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कृषि स्नातक / बी0एस0सी0 कृषि है। इसके सापेक्ष अभ्यर्थी की स्नातक उपाधि B.TECH AGRICULTURUAL ENGINEERING (कृषि अभियांत्रिकी) है। जो विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। अतः अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं करता है।** अतः विषय–विशेषज्ञों से परामर्श के क्रम में **विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
3	108428	अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि 27.10.2023 के पश्चात् दिनांक 10 नवम्बर, 2023 का प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त के संबंध में तहसीलदार की आख्या उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु उक्त आख्या से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन अवधि में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आच्छादित थे। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर वांछित ओ0बी0सी0 प्रमाण उपलब्ध न कराये जाने एवं प्रस्तुत आख्या से अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आच्छादित होने के संबंध में स्पष्ट न होने के कारण को अनर्ह किया गया है।**

क्रमांक	अनुक्रमांक	अनर्हता का कारण
1	2	3
4	110111	अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा धारित स्नातक एवं परास्नातक की उपाधि के संबंध में विषय–विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि **" विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कृषि स्नातक/बी0एस0सी0 कृषि है। जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी की स्नातक उपाधि B.Tech. AGRICULTURAL ENGINEERING (कृषि अभियांत्रिकी) है। जो विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। तथा अभ्यर्थी द्वारा धारित M.Tech. AGRICULTURAL ENGINEERING उपाधि Msc Agriculture की उपाधि के अन्तर्गत नहीं आती है।** अतः विषय–विशेषज्ञों से परामर्श के क्रम में **विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
5	113369	अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 03.08.2022 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित आवेदन करने वाले हेतु जारी किया गया है। जो विज्ञापन के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।**
6	113435	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में **EWS** प्रमाण पत्र का दावा किया गया है, जिसके संबंध में उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जारी नहीं है। जो विज्ञापन के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर EWS प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
7	108593	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि 27.10.2023 के पश्चात् का है, जो विज्ञापन के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
8	107604	अभ्यर्थी द्वारा समूह ग की अर्हता के अन्तर्गत बिन्दु–03 का दावा किया गया है जिसके क्रम में कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। **तद्क्रम में समूह 'ग' की अर्हता के अन्तर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**

विषय–जीव विज्ञान

क्रमांक	अनुक्रमांक	अनर्हता का कारण
1	103545	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक का दावा प्रस्तुत किया गया है, जबकि अभ्यर्थी भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति होने की तिथि दिनांक 30.11.2023 है जो कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतिम तिथि दिनांक 27.10.2023 के पश्चात् की है। **अतः विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 27.10.2023 तक सेवा से सेवानिवृत्ति न होने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**

क्रमांक	अनुक्रमांक	अनर्हता का कारण
2	106871	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बी.एस.सी की अंकतालिकाएं एवं प्रोविजनल उपाधि दिनांक 04.03.2024 को जारी हुई है इस सम्बंध में अभ्यर्थी से बी.एस.सी उपाधि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक पूर्ण होने से सम्बंधित आख्या मांगी गयी थी जो कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। **अतः विज्ञापन के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक परीक्षा विज्ञापन की अन्तिम तिथि 27.10.2023 तक पूर्ण किये जाने के संबंध में वांछित आख्या/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
3	110423	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रेणी/उपश्रेणी GEN/UF, PH(OA) का दावा किया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में Locomotor Disability (Temporary Disability in relation to her BOTH HAND AND BOTH FEET) अंकित किया गया है। उक्त के संबंध में दिव्यांगता की स्पष्ट श्रेणी के उल्लेख सहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 22.04.2024 को उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र आयोग के प्रारूप पर नहीं है। तथा दिव्यांगता की श्रेणी भी स्पष्ट नहीं है। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
4	113640	अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि 27. 10.2023 के पश्चात् दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का प्रस्तुत किया गया हैं, जो विज्ञापन के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**
5	109746	अभ्यर्थी द्वारा EWS श्रेणी का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके लिए अभ्यर्थी को दिनांक 22.04.2024 तक का समय प्रदान किया गया था। अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा आतिथि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है । अतः अभ्यर्थी को **विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर EWS श्रेणी उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।**

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय को **दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 (बृहस्पतिवार) के सांय 06:00 बजे तक** व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव